

गृह मंत्रालय

मांग संख्या 55

पुलिस

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	470.97	33633.17	34104.14	1199.85	36090.97	37290.82	312.03	36989.62	37301.65	1746.30	41410.63	43156.93	
पूँजी	3844.41	1638.21	5482.62	6846.14	2495.29	9341.43	4887.97	1549.56	6437.53	6914.72	2193.16	9107.88	
जोड़	4315.38	35271.38	39586.76	8045.99	38586.26	46632.25	5200.00	38539.18	43739.18	8661.02	43603.79	52264.81	
पुलिस													
1. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस	2055	0.10	8587.21	8587.31	2.00	8967.04	8969.04	0.80	9595.28	9596.08	1.00	10495.53	10496.53
	4055	...	325.09	325.09	...	338.06	338.06	...	271.80	271.80	...	322.00	322.00
	जोड़	0.10	8912.30	8912.40	2.00	9305.10	9307.10	0.80	9867.08	9867.88	1.00	10817.53	10818.53
2. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड	2055	...	465.24	465.24	...	455.70	455.70	...	441.33	441.33	...	520.31	520.31
	4055	...	36.51	36.51	...	45.50	45.50	...	59.34	59.34	...	65.50	65.50
	जोड़	...	501.75	501.75	...	501.20	501.20	...	500.67	500.67	...	585.81	585.81
3. सीमा सुरक्षा बल	2055	0.23	7896.29	7896.52	5.00	8395.58	8400.58	0.80	8963.18	8963.98	2.00	9629.46	9631.46
	4055	...	263.47	263.47	...	166.00	166.00	...	191.00	191.00	...	180.00	180.00
	जोड़	0.23	8159.76	8159.99	5.00	8561.58	8566.58	0.80	9154.18	9154.98	2.00	9809.46	9811.46
4. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	2055	0.01	1937.01	1937.02	2.00	2318.75	2320.75	0.80	2317.32	2318.12	1.00	2629.93	2630.93
	4055	...	85.31	85.31	...	112.00	112.00	...	60.00	60.00	...	95.80	95.80
	जोड़	0.01	2022.32	2022.33	2.00	2430.75	2432.75	0.80	2377.32	2378.12	1.00	2725.73	2726.73
5. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	2055	...	3204.89	3204.89	...	3536.27	3536.27	...	3694.77	3694.77	...	3982.50	3982.50
	4055	...	22.00	22.00	...	27.74	27.74	...	19.74	19.74	...	26.50	26.50
	जोड़	...	3226.89	3226.89	...	3564.01	3564.01	...	3714.51	3714.51	...	4009.00	4009.00
6. असम राइफल	2055	0.21	2723.92	2724.13	4.00	2868.55	2872.55	0.80	2913.33	2914.13	2.00	3177.68	3179.68
	4055	...	96.60	96.60	...	94.00	94.00	...	94.02	94.02	...	118.00	118.00
	जोड़	0.21	2820.52	2820.73	4.00	2962.55	2966.55	0.80	3007.35	3008.15	2.00	3295.68	3297.68
7. सशस्त्र सीमा बल	2055	0.27	1694.09	1694.36	2.00	1843.28	1845.28	1.80	2046.85	2048.65	1.85	2392.17	2394.02
	4055	...	55.57	55.57	...	54.00	54.00	...	65.15	65.15	...	90.59	90.59
	जोड़	0.27	1749.66	1749.93	2.00	1897.28	1899.28	1.80	2112.00	2113.80	1.85	2482.76	2484.61
8. सीपीएमएफ का विभागीय लेखाकरण संगठन	2055	...	52.22	52.22	...	67.81	67.81	...	66.01	66.01	...	82.21	82.21
9. राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड	2055	...	10.98	10.98	364.15	...	364.15	10.89	...	10.89	56.50	...	56.50

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
	4055	0.65	...	0.65	0.10	...	0.10	10.00	...	10.00	
	जोड़	...	10.98	10.98	364.80	...	364.80	10.99	...	10.99	66.50	...	66.50
10. भूमि पत्तन प्राधिकरण	2055	...	0.02	0.02	...	10.45	10.45	...	4.19	4.19	...	15.73	15.73
	4055	0.25	0.25	0.05	0.05	
	जोड़	...	0.02	0.02	...	10.70	10.70	...	4.19	4.19	...	15.78	15.78
11. आसूचना ब्यूरो	2055	...	857.14	857.14	...	1028.50	1028.50	...	1010.11	1010.11	...	1151.58	1151.58
	4055	...	16.91	16.91	...	44.50	44.50	...	30.85	30.85	...	45.00	45.00
	जोड़	...	874.05	874.05	...	1073.00	1073.00	...	1040.96	1040.96	...	1196.58	1196.58
12. आत्रजन ब्यूरो	2055	...	104.85	104.85	...	129.48	129.48	...	149.51	149.51	...	174.71	174.71
	4055	...	2.20	2.20	...	5.80	5.80	...	14.29	14.29	...	18.00	18.00
	जोड़	...	107.05	107.05	...	135.28	135.28	...	163.80	163.80	...	192.71	192.71
13. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो	2055	...	34.67	34.67	...	45.81	45.81	...	43.47	43.47	...	55.20	55.20
	4055	...	2.97	2.97	...	2.00	2.00	...	1.75	1.75	...	2.00	2.00
	जोड़	...	37.64	37.64	...	47.81	47.81	...	45.22	45.22	...	57.20	57.20
14. राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी अभिकरण	2055	...	37.32	37.32	...	63.14	63.14	...	71.16	71.16	...	100.07	100.07
	4055	...	0.26	0.26	...	1.70	1.70	...	1.60	1.60	...	3.80	3.80
	जोड़	...	37.58	37.58	...	64.84	64.84	...	72.76	72.76	...	103.87	103.87
15. सीएपीएफ चिकित्सा विज्ञान संस्थान	2055	0.73	0.73
	4055	0.07	0.07
	जोड़	0.80	0.80
16. विशेष रक्षा दल	2055	244.62	244.62
	4055	141.65	141.65
	जोड़	386.27	386.27
17. शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान	2055	20.19	111.81	132.00	90.00	136.02	226.02	41.78	131.62	173.40	97.63	179.50	277.13
	4055	2.66	8.20	10.86	19.80	13.16	32.96	2.30	9.81	12.11	3.70	15.87	19.57
	जोड़	22.85	120.01	142.86	109.80	149.18	258.98	44.08	141.43	185.51	101.33	195.37	296.70
18. आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता	2055	23.10	28.45	51.55	11.20	35.71	46.91	7.40	37.01	44.41	9.31	42.94	52.25
	4055	0.24	2.88	3.12	19.20	12.50	31.70	9.70	14.25	23.95	15.50	17.99	33.49
	जोड़	23.34	31.33	54.67	30.40	48.21	78.61	17.10	51.26	68.36	24.81	60.93	85.74
19. अन्तर्राज्यीय पुलिस वायरलेस योजना	2055	...	55.71	55.71	...	58.04	58.04	...	56.31	56.31	...	63.65	63.65
	4055	...	2.07	2.07	14.00	2.65	16.65	1.00	2.01	3.01	5.00	2.65	7.65
	जोड़	...	57.78	57.78	14.00	60.69	74.69	1.00	58.32	59.32	5.00	66.30	71.30
जोड़-पुलिस		47.01	28721.86	28768.87	534.00	30880.79	31414.79	78.17	32377.06	32455.23	205.49	36083.19	36288.68
20. राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो	2055	...	14.97	14.97	...	16.46	16.46	...	16.23	16.23	...	19.29	19.29

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
	4055	...	0.29	0.29	...	0.21	0.21	...	0.18	0.18	...	0.16	0.16
	जोड़	...	15.26	15.26	...	16.67	16.67	...	16.41	16.41	...	19.45	19.45
21. दिल्ली पुलिस													
21.01 दिल्ली पुलिस	2055	10.00	3298.89	3308.89	14.50	3480.33	3494.83	10.50	3548.73	3559.23	15.75	3883.53	3899.28
	4055	...	65.64	65.64	...	85.00	85.00	...	181.78	181.78	...	150.00	150.00
	जोड़	10.00	3364.53	3374.53	14.50	3565.33	3579.83	10.50	3730.51	3741.01	15.75	4033.53	4049.28
21.02 एनसीआर मेगा नगरों में ट्रेफिक संप्रेषण नेटवर्क का विकास और मॉडल ट्रेफिक सिस्टम	2055	9.52	...	9.52	20.00	...	20.00	13.00	...	13.00	11.71	...	11.71
21.03 संचार का उन्नयन अथवा विस्तार	2055
21.04 दिल्ली पुलिस में प्रशिक्षण का उन्नयन	4055	0.49	...	0.49	3.00	...	3.00	2.00	...	2.00	1.00	...	1.00
21.05 दिल्ली पुलिस की अद्यतन प्रौद्योगिकी का उन्नयन	4055	0.44	...	0.44	1.00	...	1.00	0.50	...	0.50	2.00	...	2.00
21.06 दिल्ली पुलिस में ट्रेफिक संकेतों की संस्थापना	4055	2.00	...	2.00	3.00	...	3.00	1.50	...	1.50	4.00	...	4.00
जोड़- दिल्ली पुलिस		22.45	3364.53	3386.98	41.50	3565.33	3606.83	27.50	3730.51	3758.01	34.46	4033.53	4067.99
22. अन्य पुलिस व्यय	2055	...	46.77	46.77	...	41.26	41.26	...	38.98	38.98	...	46.54	46.54
	4055	...	0.62	0.62	...	6.15	6.15	...	0.64	0.64	...	1.25	1.25
	जोड़	...	47.39	47.39	...	47.41	47.41	...	39.62	39.62	...	47.79	47.79
23. कल्याण अनुदान	2055	...	61.84	61.84	...	75.00	75.00	...	67.50	67.50	...	75.00	75.00
24. अनुसंधान	2055	...	195.00	195.00	...	200.00	200.00	...	200.00	200.00	...	257.00	257.00
	4055	...	623.00	623.00	...	1400.00	1400.00	...	500.00	500.00	...	843.00	843.00
	जोड़	...	818.00	818.00	...	1600.00	1600.00	...	700.00	700.00	...	1100.00	1100.00
25. राज्यों को सहायता													
25.01 पुलिस बल का आधुनिकीकरण	2055	...	250.00	250.00	...	250.00	250.00	...	33.00	33.00	597.00	100.00	697.00
	3601	...	550.00	550.00	...	650.00	650.00	...	267.00	267.00	500.00	650.00	1150.00
	जोड़	...	800.00	800.00	...	900.00	900.00	...	300.00	300.00	1097.00	750.00	1847.00
25.02 सुरक्षा संबंधी व्यय	3601	...	883.51	883.51	...	789.54	789.54	...	710.79	710.79	...	789.08	789.08
25.03 वामपंथी उग्रवादी गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसंरचना	3601	185.82	...	185.82	155.00	...	155.00	51.00	...	51.00	74.15	...	74.15
25.04 अपराध और आपराधिक ट्रेकिंग नेटवर्क व प्रणाली	2055	193.80	...	193.80	400.00	...	400.00	85.00	...	85.00	276.25	...	276.25
25.05 इनसर्जेंसी का मुकाबला करने और आतंकवादी गतिविधि विरोधी स्कूलों के लिए सहायता	3601	8.02	...	8.02	65.00	...	65.00	8.97	...	8.97	20.50	...	20.50
25.06 इंडिया रिजर्व बटालियन	3601	...	282.81	282.81	...	343.00	343.00	...	46.00	46.00	...	52.00	52.00
25.07 नक्सल प्रबंधन हेतु सहायता	2055	20.00	20.00	...	40.00	40.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
25.08 किलाबंद पुलिस स्टेशनों का निर्माण/सुदृढीकरण	3601	150.00	150.00	...	160.00	160.00	
25.09 गोरखालैंड प्रदेश प्रशासन	3601	65.00	65.00	...	100.00	100.00	
25.10 संसाधनों में अन्तराल को भरने हेतु स्वापक नियंत्रण ब्यूरो	3601	2.60	2.60	...	2.60	2.60	
<i>जोड़- राज्यों को सहायता</i>		<i>387.64</i>	<i>1966.32</i>	<i>2353.96</i>	<i>620.00</i>	<i>2032.54</i>	<i>2652.54</i>	<i>144.97</i>	<i>1294.39</i>	<i>1439.36</i>	<i>1467.90</i>	<i>1893.68</i>	<i>3361.58</i>
26. संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता	2055	...	128.28	128.28	...	141.20	141.20	...	127.08	127.08	...	141.20	141.20
	3602	...	6.60	6.60	...	13.20	13.20	...	12.28	12.28	...	13.60	13.60
<i>जोड़</i>		...	<i>134.88</i>	<i>134.88</i>	...	<i>154.40</i>	<i>154.40</i>	...	<i>139.36</i>	<i>139.36</i>	...	<i>154.80</i>	<i>154.80</i>
27. आत्रजन संबंधी सुविधाएं													
27.01 सीमा पर जांच चौकियां	2055	...	8.00	8.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00
27.02 समेकित जांच चौकियों की स्थापना	4055	79.85	...	79.85	160.00	...	160.00	90.00	...	90.00	250.00	...	250.00
<i>जोड़- आत्रजन संबंधी सुविधाएं</i>		<i>79.85</i>	<i>8.00</i>	<i>87.85</i>	<i>160.00</i>	<i>5.00</i>	<i>165.00</i>	<i>90.00</i>	<i>5.00</i>	<i>95.00</i>	<i>250.00</i>	<i>5.00</i>	<i>255.00</i>
28. आत्रजन, बीजा तथा विदेशियों के पंजीकरण तथा ट्रेकिंग के संबंध में मिशन मौड परियोजना	2055	19.70	...	19.70	50.00	...	50.00	34.00	...	34.00	46.00	...	46.00
आवास													
29. पुलिस के लिए रिहाइशी आवास का निर्माण													
29.01 केन्द्रीय पुलिस संगठन	4055	607.15	...	607.15	911.68	...	911.68	644.59	...	644.59	509.11	...	509.11
29.02 दिल्ली पुलिस	4055	8.48	...	8.48	62.00	...	62.00	25.40	...	25.40	163.90	...	163.90
29.03 विशेष रक्षा दल	4055	23.83	23.83
29.04 उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए बनाई गई परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एक मुश्त व्यवस्था	4552	106.73	...	106.73	830.00	...	830.00	466.85	...	466.85	830.00	...	830.00
<i>जोड़- पुलिस के लिए रिहाइशी आवास का निर्माण</i>		<i>722.36</i>	...	<i>722.36</i>	<i>1803.68</i>	...	<i>1803.68</i>	<i>1136.84</i>	...	<i>1136.84</i>	<i>1503.01</i>	<i>23.83</i>	<i>1526.84</i>
लोक निर्माण कार्य													
30. पुलिस के लिए भवनों का निर्माण													
30.01 केन्द्रीय पुलिस संगठन	4055	1760.17	...	1760.17	3083.31	...	3083.31	2114.29	...	2114.29	2430.34	...	2430.34
30.02 दिल्ली पुलिस	4055	20.33	...	20.33	198.50	...	198.50	156.76	...	156.76	223.32	...	223.32
30.03 दिल्ली पुलिस	4055	2.90	2.90
<i>जोड़- पुलिस के लिए भवनों का निर्माण</i>		<i>1780.50</i>	...	<i>1780.50</i>	<i>3281.81</i>	...	<i>3281.81</i>	<i>2271.05</i>	...	<i>2271.05</i>	<i>2653.66</i>	<i>2.90</i>	<i>2656.56</i>
31. सीमा प्रबंधन													
31.01 सीमा प्रदेश निर्माण कार्य प्रबंध भारत-बंगलादेश													
31.01.01 कांटेदार बाड़ लगाना	4055	279.43	...	279.43	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00
31.01.02 सड़क निर्माण कार्य	4055	368.42	...	368.42	328.00	3.00	331.00	402.00	...	402.00	450.00	...	450.00
<i>जोड़- सीमा प्रदेश निर्माण कार्य प्रबंध भारत-</i>		<i>647.85</i>	...	<i>647.85</i>	<i>428.00</i>	<i>3.00</i>	<i>431.00</i>	<i>502.00</i>	...	<i>502.00</i>	<i>550.00</i>	...	<i>550.00</i>

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014				
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़		
<i>बंगलादेश</i>														
31.02	भारत-पाकिस्तान सीमा निर्माण कार्य	4055	102.36	...	102.36	170.00	3.00	173.00	170.00	0.01	170.01	230.00	...	230.00
31.03	भारत-चीन सीमा निर्माण कार्य	4055	238.11	...	238.11	200.00	...	200.00	270.00	...	270.00	300.00	...	300.00
31.04	भारत-म्यांमार सीमा निर्माण कार्य	4055	4.14	...	4.14	4.00	18.00	22.00	4.00	0.01	4.01	15.00	...	15.00
31.05	भारत-नेपाल सीमा निर्माण कार्य	4055	110.00	...	110.00	40.00	0.01	40.01	890.00	...	890.00
31.06	भारत-भूटान सीमा निर्माण कार्य	4055	50.00	...	50.00	0.01	...	0.01	40.00	...	40.00
	<i>जोड़- सीमा प्रबंधन</i>		<i>992.46</i>	...	<i>992.46</i>	<i>962.00</i>	<i>24.00</i>	<i>986.00</i>	<i>986.01</i>	<i>0.03</i>	<i>986.04</i>	<i>2025.00</i>	...	<i>2025.00</i>
32.	तटीय सुरक्षा	4055	92.64	...	92.64	170.00	...	170.00	80.00	...	80.00	150.00	...	150.00
33.	सीमा निर्माण कार्यों का रखरखाव	2055	...	103.66	103.66	...	107.12	107.12	...	117.98	117.98	...	120.00	120.00
34.	सीमा के बाहर चौकियां	4055	170.77	...	170.77	380.00	...	380.00	284.00	...	284.00	234.00	...	234.00
35.	विविध मदें	2055	15.00	...	15.00	44.49	...	44.49	33.65	...	33.65
		4055	...	28.62	28.62	28.00	55.00	83.00	22.97	26.62	49.59	57.85	26.62	84.47
		7601	5.00	5.00	...	4.70	4.70
	<i>जोड़</i>		...	<i>28.62</i>	<i>28.62</i>	<i>43.00</i>	<i>60.00</i>	<i>103.00</i>	<i>67.46</i>	<i>31.32</i>	<i>98.78</i>	<i>91.50</i>	<i>26.62</i>	<i>118.12</i>
36.	बटालियनों की तैनाती के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति	3601	...	14.99	14.99	...	18.00	18.00	...	20.00	20.00	...	18.00	18.00
37.	वास्तविक वसूलियां	2055	...	-13.97	-13.97
कुल जोड़			4315.38	35271.38	39586.76	8045.99	38586.26	46632.25	5200.00	38539.18	43739.18	8661.02	43603.79	52264.81
	विकास शीर्ष		बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय														
1.	पुलिस	32055	4208.65	...	4208.65	7215.99	...	7215.99	4733.15	...	4733.15	7831.02	...	7831.02
2.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	106.73	...	106.73	830.00	...	830.00	466.85	...	466.85	830.00	...	830.00
जोड़			4315.38	...	4315.38	8045.99	...	8045.99	5200.00	...	5200.00	8661.02	...	8661.02

1. **केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल:** यह प्रावधान केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के लिए है जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों की सहायता करता है और राज्यों द्वारा सहायता मांगे जाने पर विभिन्न प्रकार के आंतरिक सुरक्षा कार्य करता है। इस बल का प्राकृतिक आपदाओं आदि के समय राहत कार्यों के लिए भी प्रयोग किया जाता है।

2. **राष्ट्रीय सुरक्षा गारद:** यह प्रावधान राष्ट्रीय सुरक्षा गारद के लिए है जो सभी प्रकार के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक विशिष्ट बल है। इसी पृष्ठभूमि के साथ, 1984 में संघीय बल के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा गारद का गठन

किया गया था ताकि उन विशिष्ट स्थितियों से निपटा जा सके जिनमें विशेष दक्षता की आवश्यकता होती है और इस प्रकार सभी तरह के आतंकवाद के बढ़ते खतरे का मुकाबला किया जा सके।

3. **सीमा सुरक्षा बल:** यह प्रावधान सीमा सुरक्षा बल के लिए है जो जम्मू और कश्मीर में वास्तविक नियंत्रण रेखा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में भारत-पाक सीमा और भारत-बंगलादेश सीमा पर निगरानी रखता है।

4. **भारत-तिब्बत सीमा पुलिस:** यह प्रावधान भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के लिए है जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में भारत-तिब्बत सीमा की चौकसी करने के लिए है।

5. **केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल:** यह प्रावधान केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लिए है जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और केन्द्रो/राज्य सरकारों की अन्य एजेंसियों की सम्पत्तियों की सुरक्षा करने में सहायता करता है। यह अधिकांश विमान पत्तनों की सुरक्षा के लिए भी उत्तरदायी है।

6. **असम राइफल्स:** यह प्रावधान असम राइफल्स के लिए है जो देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। अधिकांश बल सेना के प्रचालनात्मक नियंत्रणाधीन पूर्वोत्तर में तैनात है।

7. **सशस्त्र सीमा बल:** यह प्रावधान सशस्त्र सीमा बल के लिए है जो दूसरा सीमा रक्षक बल है जिसे उत्तराखण्ड से सिक्किम तक भारत-नेपाल सीमा और भारत-भूटान सीमा पर तैनात किया गया है। इस बल को आंतरिक सुरक्षा ज्यूटियों के लिए भी तैनात किया जाता है।

8. **केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल का विभागीय लेखाकरण संगठन:** यह प्रावधान सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के वेतन एवं लेखाकरण कार्यालयों को कवर करता है जिन्हें समन्वित प्रशासनिक एवं कार्य प्रचालन के नियंत्रणाधीन पुनर्गठित किया गया है।

9. **राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (एन ए टी ग्रिड):** यह प्रावधान नेट ग्रिड के लिए है जिसका उद्देश्य डाटा बेसों को जोड़ना है जिससे आतंकवाद का मुकाबला करने में सहायता मिलेगी। इसका आशय आंतरिक सुरक्षा के खतरे का मुकाबला करने की क्षमता को सुधारने हेतु सुविधा निर्माण करना है।

10. **भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण:** यह प्रावधान भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण की स्थापना के लिए है जो ऐसी व्यवस्था तैयार करेगा जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं दूर होंगी और भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर अभिहित स्थानों पर यात्रियों और सामानों की सीमापारीय आवाजाही तथा संबंधित मामलों के लिए सुविधाओं का विकास तथा प्रबंधन होगा।

11. **आसूचना ब्यूरो:** यह प्रावधान आसूचना ब्यूरो के स्थापना संबंधी व्यय को वहन करने के लिए है।

12. **आव्रजन ब्यूरो:** यह प्रावधान आव्रजन ब्यूरो के स्थापना संबंधी व्यय तथा आसूचना ब्यूरो द्वारा संचालित आव्रजन सेवाओं तथा सीमा चौकियों के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन के लिए है।

13. **स्वापक नियंत्रण ब्यूरो:** यह प्रावधान स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के सचिवालय संबंधी व्यय के लिए है।

14. **राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एन आई ए):** यह प्रावधान हाल में संसद के अधिनियम द्वारा गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्थापित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एन आई ए) के स्थापना संबंधी व्यय को वहन करने के लिए है।

15. **केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का आयुर्विज्ञान संस्थान:** यह प्रावधान केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए नवगठित आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना संबंधी व्यय तथा अन्य संबद्ध व्ययों की पूर्ति के लिए है।

16. **विशेष सुरक्षा बल:** इसमें विशेष सुरक्षा बल जो भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवार के सदस्यों को सशस्त्र सुरक्षा उपलब्ध कराता है, के लिए है।

17. **शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान:** इसके अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद, केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय, राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो संबंधी व्यय शामिल है। इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण देने हेतु पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी के लिए भी प्रावधान शामिल है। यह प्रावधान बी.पी. आर. एण्ड डी. की स्कीमों, अर्थात् (क) प्रशिक्षण तंत्रों, (ख) बेहतर दक्षता तथा जनता एवं पुलिस आदि के लिए अधिक आउटरीच हेतु अनुसंधान एवं विकास योजनाओं के लिए भी है। इसमें केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना, 6 नए आंचलिक शाखा सह केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूलों के गठन तथा प्रशिक्षण तथा अवैध मानव व्यापार प्रतिषेध यूनिट की स्थापना के माध्यम से मानव-तस्करों के संबंध में की गई प्रवर्तन संबंधी प्रत्येक कार्रवाई के लिए पुलिस और जेलों की प्रशिक्षण एवं अनुसंधान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मौजूदा तीन केन्द्रीय डिटेक्टिव प्रशिक्षण स्कूलों के उन्नयन के लिए भी प्रावधान है।

18. **अपराध संबंधी जांच और सतर्कता:** इसके अंतर्गत विधि-विज्ञान निदेशालय, केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं और प्रश्रगत दस्तावेजों के सरकारी परीक्षक संबंधी व्यय शामिल है। यह प्रावधान केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं और प्रश्रगत दस्तावेजों के सरकारी परीक्षक के कार्यालय का आधुनिकीकरण करने के लिए भी है जिसमें मानव संसाधन विकास व अनुसंधान तथा विकास योजनाओं तथा क्षेत्रीय अपराध विधि-विज्ञान प्रयोगशालाओं और डी एन ए केन्द्रों की स्थापना पर जोर दिया जाएगा।

19. **अंतर-राज्यीय पुलिस वायरलेस योजना:** राज्यों से और राज्यों को संदेश प्रसारण के अतिरिक्त योजना का उद्देश्य माइक्रोप्रोसेसर नियंत्रित प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए अत्याधुनिक उपस्करों के प्रयोग की पद्धति को आधुनिक बनाना है।

20. **राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी):** प्रावधान राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के लिए है जो देश में हो रहे विभिन्न प्रकार के अपराधों से संबंधित आंकड़ों के संग्रहण/संकलन तथा प्रस्तुतीकरण के लिए जिम्मेदार है।

21. **दिल्ली पुलिस:** दिल्ली पुलिस, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली में कानून और व्यवस्था के रखरखाव व उसे लागू रखने के लिए जिम्मेदार है। जिम्मेदारी में शहर में यातायात प्रबंधन भी शामिल है। प्रावधान नैमित्तिक व्यय एवं दिल्ली पुलिस द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं जैसे एन सी आर मेगा शहरों तथा आदर्श यातायात प्रणाली में यातायात और संचार नेटवर्क का विकास, संचार अवस्थापना का उन्नयन अथवा विस्तार, प्रशिक्षण का उन्नयन, आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का प्रारंभ तथा यातायात संकेतों की स्थापना आदि के लिए है।

22. **अन्य पुलिस व्यय:** प्रावधान सीमा सुरक्षा बल के तहत अशु-गैस इकाई, बीजलेखन संबंधी दस्तावेज तैयार करने और अन्य सरकारों/विभागों को भुगतान किए गए प्रभारों के लिए है। प्रशिक्षण और विकास तथा ई-गवर्नेंस हेतु अवसरचर्चा के लिए इस शीर्ष के अंतर्गत पृथक प्रावधान किया गया है।

23. **कल्याणकारी अनुदान:** प्रावधान आतंकवादी हमलों/विद्रोह का मुकाबला करने में मारे गए केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों के कार्मिकों के नजदीकी रिश्तेदारों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए है।

24. **अनुसंधान:** अनुसंधान गतिविधियों को सहायता।
25. **राज्यों को सहायता:** इस योजना के अंतर्गत, राज्य सरकारों को 100% सहायता अनुदानों के रूप में नकद और वस्तु रूप में सहायता प्रदान की जाती है जिसका उपयोग वाहनों की खरीद, वायरलेस उपकरणों, राज्यों में पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु कम्प्यूटर एवं आधुनिक उपकरणों तथा उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में विशेष अवस्थापना का विकास, अपराध तथा अपराध ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली की स्थापना, विद्रोह का मुकाबला करने तथा आतंकवाद विरोधी स्कूलों, सुरक्षा से संबंधित व्यय और इंडिया रिज़र्व बटालियनों के गठन और सामाजिक आर्थिक अवसंरचना के विकास में सहायता, एनसीबी के संसाधनों के अंतराल को कवर करने के लिए गोरखालैंड भू-क्षेत्र प्रशासन को सहायता किलाबंदी वाले पुलिस थानों का निर्माण/सुदृढीकरण और नक्सल प्रबंधन हेतु सहायता के लिए गैर-आवर्ती व्यय हेतु किया जाएगा।
26. **संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता:** इस योजना के तहत, विधानमंडल सहित व रहित संघ राज्य क्षेत्रों को पुलिस बल के सुदृढीकरण के लिए नकद रूप में और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को संसाधनों का अंतराल कवर करने हेतु सहायता प्रदान की जाती है।
27. **आव्रजन सेवाएं:** इस प्रावधान में सीमा जांच चौकियों के रखरखाव तथा अवैध आव्रजन को रोकने के लिए एकीकृत जांच चौकियों की स्थापना पर हुए व्यय हेतु राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति किए जाने वाले प्रभार शामिल हैं।
28. **आव्रजन, वीजा तथा विदेशियों के पंजीकरण तथा ट्रैकिंग के संबंध में मिशन मॉड परियोजना:** यह प्रावधान मिशन मॉड परियोजना के लिए है जिसका मुख्य उद्देश्य एक सुरक्षित और समेकित सेवा प्रस्तुती संगठन बनाना है जो देश की सुरक्षा को मजबूत रखते हुए वैध यात्रियों को सुविधा प्रदान करना है।
29. **पुलिस के लिए रिहायशी आवास का निर्माण:** प्रावधान केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों के कार्मिकों तथा दिल्ली पुलिस के लिए रिहायशी आवासों के निर्माण के लिए और पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के कल्याण संबंधी परियोजनाओं/योजनाओं के लिए किया गया है।
30. **पुलिस के लिए भवनों का निर्माण:** इसमें केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों, एसपीजी और दिल्ली पुलिस के लिए कार्यालय भवनों के निर्माण संबंधी व्यय शामिल है।
31. **सीमा प्रबंधन:** प्रावधान भारत-बांग्लादेश तथा भारत-पाक सीमाओं पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने, सड़कों के निर्माण, ओ पी टॉवरों के निर्माण, तेज रोशनी की व्यवस्था करने तथा उच्च-तकनीक युक्त निगरानी और पड़ोसी देशों के साथ लगने वाली भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर इस प्रकार के विभिन्न निर्माण संबंधी कार्यकलापों के लिए है।
32. **तटीय सुरक्षा:** प्रावधान गैर-कानूनी गतिविधियों की रोकथाम के लिए बेहतर निगरानी हेतु देश के तटीय क्षेत्रों में सचल जांच चौकियों की स्थापना करने के लिए है।
33. **सीमा कार्यों का रखरखाव:** प्रावधान, भारत-बांग्लादेश और भारत-पाक सीमाओं पर रखरखाव कार्य के लिए है।
34. **सीमा चौकियां:** प्रावधान, विभिन्न केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों द्वारा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर चौकियां स्थापित करने के लिए है।
35. **विविध मदें:** प्रावधान, जलयानों/वायुयानों, एयर विंग की खरीद और ऋणों एवं अग्रिम राशियों के लिए है।
36. **बटालियनों की तैनाती के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति:** प्रावधान, केन्द्र सरकार द्वारा निष्पादित की जाने वाली झूटियों के लिए बटालियनों की तैनाती के कारण होने वाले व्यय की विभिन्न राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति करने के लिए है।